ACM कोर्ट जयपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	समन्द्र कंवर बनाम हुकम कंवर 06/25 धारा	
15/4/2025	आज यह पत्रावली न्यायालय SDO रामपुरा डाबडी से प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। उपरोक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस/आपत्ति पेश करें। पत्रावली दिनांक 28/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
28/4/25	[redacted]वली पेश हुई । व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश............ अनुसार आगामी पेशी दिनांक.....13/5/2025..... को पेश हो ।	
13/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उपस्थित। उपरोक्त की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। बहस, जमाबंदी व कुर्रेजात को ध्यान में रखते हुये वाद वादी मुताबिक तहसील क्षेत्र रामपुरा-डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद संख्या 36/2025 **वाद प्रस्तुति दिनांक 27.07.2022**

समन्दर कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति–राजपूत, निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

........वादिया

बनाम

1. प्रभात कंवर पत्नी बिहारी सिंह
2. भंवर कंवर पत्नी भवानी सिंह
3. मनोहर कंवर पत्नी मोरमुकुट सिंह
4. राजेश कंवर पत्नी गोपाल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. हरि सिंह राजपूत पुत्र भगवत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम चकरोजदा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 13.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 166 व पुरानी खाता सख्या 156 की आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में वादिया का 1/5 हिस्सा निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का निहित है। जो कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की अविभाजित सयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की भूमि है। वाद पत्र के मद सख्या 1 मे उल्लेखित वादग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत विभाजन नही हुआ है जिस पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त सम्पत्ति का लगान सरकारी वादीया व प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हिस्से का अदा किया जा रहा है। वाद पत्र के मद सख्या 1 में वर्णित भूमि का विधि अनुसार पक्षकारो के मध्य विभाजन नही हुआ तथा पक्षकारगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे है। कि वर्तमान मे वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि जयपुर शहर के निकट होने के कारण उक्त विवादग्रस्त भूमि के भावो मे तीव्र बढोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मन मे बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वाद पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप मे सोसायटी को व दीगर व्यक्ति व भू माफिया किस्म के व्यक्तियों को बेचान कर उस पर प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य करने पर आमदा हो रहे है परन्तु उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। दिनांक 25.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाँच सात दीगर व्यक्तियो को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त भूमि को दिखाने लगे तो वादीया द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होने कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विशिष्ट भू भाग के रूप में सोसायटी को व भू माफिया किस्म के व्यक्तियो को बेचान कर उस पर प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य करेगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है इस कारण आप भूमि का विशिष्ट भू भाग के रूप मे बेचान नही कर सकते है ना ही प्लॉटिंग कर सकते हैं और ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि के किसी भी विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य कर सकते है पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना उ क्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व उनके साथ आये पाँच सात दीगर व्यक्ति वादी को धमकाने लगे की हम तो उक्त विवादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान करेगे और विवादग्रस्त भूमि पर प्लॉटिंग कर उक्त विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करेगें तुम्हे जो करना हो सो कर लो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की धमकी के कारण उक्त वाद बाबत तकासमा व स्थाई निशेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर व क्षेत्रफल व ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित प्रतिवादीगण का ही विवादित खसरे पर ही कब्जा काश्त है। वाद पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत है से इंकार है क्योंकि खसरा नम्बर 340 का बंटवारा 31.03.2005 को एक इकरारनामा लिखित व तहरीर किया गया था जिस पर वादिया के पति स्व. विजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। वादिया के पति की सहमति से ही उक्त बंटवारा किया गया था जिसकी समस्त जानकारी प्रारम्भ से ही वादिया को थी। इसके उपरान्त भी गलत तथ्य अंकित कर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र की मद संख्या–4 में

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर
Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि वादिया का उक्त विवादित खसरे से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त खसरा सम्पूर्ण स्वर्गीय बिहारी सिंह जी के हिस्से में आ गया था। वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादीगण । विवादित खसरे पर कब्जाकाश्तं है इसलिए वादिया का उक्त मिट्स एण्डबाउण्ड के आधार पर उक्त दावा गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है।. वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित खसरा वर्ष 2005 से ही प्रभात कंवर पत्नी बिहारी सिंह की कब्जेकाश्त चला आ रहा है और स्वर्गीय बिहारी सिंह ने वर्ष 2005 में लिखे गये इकरारर्नामा / बंटवारानामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाने के कारण एवं जानकारी के अभाव में बंटवारेनामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित खसरे को अपने नाम से इंद्राज नहीं करवाया इसका नाजायज व बेईमानीपूर्वक वादिया के पति का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उक्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज फायदा उठाते हुए उ क्त वाद पत्र दायर किया है जिसका कि वादिया को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या—7 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित खसरे की समस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या—1 का. बंटवारे के हिसाब से कब्जाकाश्त चला आ रहा है और वादिया प्रतिवादी संख्या—1 लगायत 4 को किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारिणी नही हैं क्योंकि वादिया अपने स्वर्गीय पति विजेन्द्र सिह के द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारा से पाबन्द है। वाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है वादिया किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। वाद पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीक़ार है क्योंकि उक्त विवादित खसरे पर ना तो वादिया का कब्जा है ना ही वादिया कोई कब्जाकाश्त है इसलिए किसी भी प्रकार की वादिया को अपूर्णीय क्षति होने का प्रसन ही नहीं उठता। वाद पत्र की मद संख्या—10 में वर्णित इबारत गलत एवं मनगढनत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादिया को दिनांक 25.07.2022 को ना तो मिले ना ही फोन से किसी प्रकार की कोई वार्ता हुई इसलिए वादिया का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होंने तनकी कायम नही कर प्राथमिक डिक्री करने हेतु विवादित कब्जेकाश्त के मध्यनजर बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया। तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 166 व पुरानी खाता सख्या 156 की आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि का कब्जे काश्त अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। उभयपक्ष ने कुर्रेजात प्राप्त होने पर कुर्रेजात के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि :–

1. समंदर कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह हि. संपूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन एस.बी. आई. शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 340/2 रकबा 0.0340 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रभात कंवर पत्नी बिहारी सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, भंवर कंवर पत्नी भवानी सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, मनोज कंवर पत्नी मोर मुकुट सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, राजेश कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 340/1 रकबा 0.1360 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुराडाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर भू.प्र.

निर्णय दिनांक 13.05.2025

वाद संख्या 36/2025
समन्दर कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति–राजपूत, निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. प्रभात कंवर पत्नी बिहारी सिंह
2. भंवर कंवर पत्नी भवानी सिंह
3. मनोहर कंवर पत्नी मोरमुकुट सिंह
4. राजेश कंवर पत्नी गोपाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. हरि सिंह राजपूत पुत्र भगवत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम चकरोजदा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. समंदर कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह हि. संपूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन एस. बी.आई. शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 340/2 रकबा 0.0340 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रभात कंवर पत्नी बिहारी सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, भंवर कंवर पत्नी भवानी सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, मनोज कंवर पत्नी मोर मुकुट सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, राजेश कंवर पत्नी विजेन्द्र सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 340/1 रकबा 0. 1360 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगी। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.05.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 36/2025
बउनवानी – समंदर कंवर बनाम प्रभात कंवर वगै0
निर्णय दिनांक :–13.06.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर	4 रुपये		फीस कमिश्नर	4 रुपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested